सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 08, 2023

संख्या प. 2(40)वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें ले लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/ असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है, तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का

कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नं॰	रकबा (हैक्टर मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमरवाड ए	सपोटरा	करौली	उत्तर- ख.न. 591 सिवायचक पूर्व- ख.न. 640 सिंचाई विभाग दक्षिण- ख.न. 596 सिवायचक पश्चिम- ख.न. 604 चारागाह	अमरवाड	596/1	28.1635
						योग	**28.1635**

सुरेश मिश्रा,
उप वन संरक्षक,
करौली।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
सपोटरा

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Acacia catechu	खैर
2	Acacia Nilotica	देशी बबूल
3	**Anogeissus pendula**	धोंक

सुरेश मिश्रा,
उप वन संरक्षक,
करौली।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
सपोटरा

परिशिष्ट-क

कार्यालय उप वन संरक्षक करौली

प्रमाण पत्र

वन खण्ड - अमरवाड ए

रेंज- सपोटरा

वनमण्डल - करौली

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन पहाड वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि तहत प्रत्यावर्तन प्रकरण 1. सम्पर्क सडक गढमण्डोरा 2. सम्पर्क सडक भउआपुरा से नयावांस 3. सम्पर्क सडक थड का पुरा 4. सम्पर्क सडक दौलतपुरा 5. सम्पर्क सडक राहिर 7. दौलतपुरा सें नैनिया की गुवारी 8. सम्पर्क सडक बर्रेड के बदले प्राप्त हुई है।
3. इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
4. वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियों में धोंक, देशी बबूल एवं खैर है। वन खण्ड में प्रमुख प्रजाति धोंक है।
5. समिपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवायचक बंजड व वन भूमि भूमि है। चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्ड के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्षाई गई दिषाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्षें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

सुरेश मिश्रा,
उप वन संरक्षक,
करौली।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
सपोटरा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।